सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1. पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 को संसद में सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा।
- फरवरी 1994 में दिशा निर्देश जारी जिसमें योजना की संकल्पना, कार्यान्वयन और प्रबोधन को शामिल।
- अक्टूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अंतरित किया गया।
- दिसम्बर, 1994, फरवरी, 1997, सितम्बर, 1999 , अप्रैल, 2002 में दिशा निर्देशों को आवधिक रूप से अद्यतन किया गया।

2. योजना का उद्देश्य

- ''योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन एवं विकासात्मक प्रकृति के कार्यो की करने हेतु सक्षम बनाना है''
- योजनान्तर्गत निम्न कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित कराया जाता है:–

  1. पेयजल, 2. प्राथमिक शिक्षा, 3. सार्वजनिक स्वास्थ्य 4. स्वच्छता 5. सड़के इत्यादि।

<u>योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्य–</u>

1. केन्द्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
   से संबद्ध कार्यालय तथा आवासीय भवन।
2. कार्यालय तथा आवासीय भवन तथा निजी, सरकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. वैसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/इकाई।
4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य।
5. सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली सम्पति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को छोड़कर)
6. केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर रखी गयी सम्पति।
8. केन्द्र, राज्य, संघशसित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबद्ध वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक, खेल पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोड़कर सभी चल वस्तुओं की खरीद.(यह कार्य जिसके लिये ऐसी वस्तुओं का प्रस्ताव हो, पूँजीं लागत के 10% के अध्यधीन होगा)
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिगृहित भूमि का मुआवजा।

10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंषिक समाप्ति की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपति।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।
13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अन्तर्गत कार्य।

3. विशेषतायें.

- योजना शतप्रतिशत केन्द्रपोषित है.
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 तक प्रति सदस्य रू0 2.00 करोड प्रति वित्तीय वर्ष.
- वित्तीय वर्ष 2011–12 से उक्त धनराशि को बढ़ाकर रू0 5.00 करोड़ प्रति सदस्य प्रति वित्तीय वर्ष।
- लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये कार्यो की अनुशंसा कर सकते है।
- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के एक या अधिक जिलो में कार्यान्वयन हेतु कार्यो की अनुशंसा कर सकते है।
- लोक सभा एवं राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी।
- यदि किसी एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अधीन एक से अधिक जिले आते है, लोक सभा सदस्य किसी एक जिले को केन्द्रक जिले के रूप में चुन सकते है।
- योजनान्तर्गत संसद सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष आवंटित धनराशि में से 15ः अनुसूचित जाति तथा 7.50ः अनुसूचित जनजाति के लागों हेतु।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक सांसद संबद्ध जिला प्राधिकारी/जिलाधिकारी को अनुबंध–III में दिये गये प्रपत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान 90 दिनों के अन्दर वाषिक पात्रता की सीमा तक कार्यो की अनुशंसा करेगा।
- जिला प्राधिकारी दिशा–निर्देशों में दिये गये स्थापित कार्यविधि के अनुसार पात्र स्वीकृत कार्यो को कार्यान्यावित करायेगें।
- **प्राकृतिक आपदाये**– योजनान्तर्गत बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, तूफान एवं अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में उस राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोक सभा सदस्य राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम रू0 10.00 लाख तक प्रति वर्ष।

- विकराल प्राकृतिक आपदा आने पर सांसद प्राभावित जिले के लिये अधिकतम रू0 50.00 लाख के कार्यो की अनुशंसा कर सकता है। अनुमेय कार्यो को करवाने के लिये निधियॉ केन्द्रक जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिलों के जिला प्राधिकारी को जारी की जायेगीं।

4. कार्यान्वयन

- योजनान्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य उपयुक्त कार्यो की अनुशंसा संसद सदस्य के पत्र शीर्ष पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके जिला प्राधिकारी को भेजेगा।

- संसद सदस्य के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी अनशंसा अनुमेय नहीं है।

- संसद सदस्य केन्द्रक जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के कार्यो की अनुशंसा करना चाहता है तो केन्द्रक जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्यो की सूची उस जिला प्राधिकारी को दी जायेगी।

- जिला प्राधिकारी ऐसे कार्यान्वयन अभिकरण का चयन करेगा जो पात्र कार्यो का कार्यान्वयन गुणवत्ता, समय एवं संतोषजनक रूप से कर सके।

- योजनान्तर्गत जिला प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि किसी करण से अनशंसित कार्य को कियान्वित नहीं किया जा सकता तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिन के अन्दर संबंधित संसद सदस्य के साथ–साथ भारत सरकार तथा राज्य सरकार को कारणों से अवगत करायेगा।

- योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिये सामुदायिक अवसंरचना और जनोपयोग भवन कार्य अनुमेय है।

- सोसाइटियों/न्यास विशेष के एक अथवा उससे अधिक कार्यो के लिये अधिकतम रू0 1.00 करोड़ व्यय किया जा सकता है।

- योजनान्तर्गत किसी सोसाइटियों/न्यास को निधियों की अनुशंसा नहीं की जायेगी यदि अनुशंसा करने वाला संसद सदस्य अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो।

- संसद सदस्य की अनशंसा प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी को प्रत्येक अनुशंसित कार्य की पात्रता एवं तकनीकी व्यवहार्यता की जॉच करनी चाहिये।

- स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन अभिकरण के लिये कार्य समापन की समय सीमा एक वर्श से अधिक नहीं होनी चाहिये।

- योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृतियों का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है।

5. निधि जारी करना और प्रबंधन

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रत्येक संसद सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष रू0 5.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा सीधे केंद्रक जिला प्राधिकारी जारी की जायेगी।

- यदि एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में बटा हुआ है तो उस निर्वाचन क्षेत्र की निधियॉ केन्द्रक जिला प्राधिकारी को जारी की जायेगी।

- लेक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ववर्ती सांसद द्वारा छोड़ा गया निधियों का षेश उस निर्वचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती सांसद को दे दिया जायेगा।

- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों सम्बन्ध में, एक विशेष राज्य में पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा एक केन्द्रक जिले में छोड़ा गया निधियों का शेष उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच राज्य सरकार द्वारा बराबर–बराबर वितरित कर दिया जायेगा।

- लोक सभा के नामित एंग्लो–इण्डियन सदस्यों द्वारा छोड़ा गया अव्ययित शेष भारत सरकार द्वारा लोक सभा के उततरवर्ती नामित एंग्लो–इण्डियन सदस्यों के बीच बराबर–बराबर वितरित कर दिया जायेगा।

- आकस्मिक व्यय–जिला प्राधिकारी योजनान्तर्गत एक वर्श के अन्दर पूर्ण कार्यो पर किये गये व्यय का 0.50 प्रतिशत आकस्मिक व्यय के रूप में उपयोग कर सकता है जैसे स्टेशनरी क्रय, कार्यालय उपकरण जिसमें कम्प्यूटर भी शामिल है, टेलीफोन व डाक खर्च पर व्यय,